विविध

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 43 / 2024
दायरा दिनांकः–20.08.2024
निर्णय दिनांकः– 23.10.24

उनवान

1. अब्दुल शकील पुत्र अब्दुल अजीज
2. अब्दुल सगीर पुत्र अब्दुल अजीज
3. अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल अजीज
4. रिजवान पुत्र अब्दुल अजीज
5. शहनाज बी पुत्री अब्दुल अजीज
6. शाहिना बी पुत्री अब्दुल अजीज
7. सलमान खान आयु 32 वर्ष पुत्र अब्दुल अजीज जातियान मुसलमान निवासीगण वार्ड नं0 13 जोहरीपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 23.10.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अमर सिंह – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नई 275 पुरानी 237 खसरा नम्बर 1043 / 01 रकबा 0.5944 हैक्टयर खसरा नम्बर 1044 / 01 रकबा 0.4932 हैक्टयर खसरा नम्बर 1045 / 01 रकबा 0.2909 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3785 हैक्टयर भूमि वाके माल छबड़ा पटवार हल्का छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में अवस्थित है. जिसका इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रार्थीगणों के पिता का नाम मुन्ना खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड न० 13 जोहरीपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) अंकित है। उक्त आराजी वाके माल छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम मुन्ना खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 12 जोहरीपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) त्रुटि पूर्वक अंकित हो रहा है। प्रार्थीगण के पिता का सहीं नाम अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड न० 13 जोहरीपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) है, तथा प्रार्थीगण के पिता को इसी नाम से जाना जाता है, तथा इसी नाम का इन्द्राज राशन कार्ड परिचय पत्र एवं आधार कार्ड में अंकित है, जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है. व प्रार्थीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र में भी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना खां अंकित है, जो राजस्थन सरकार द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थीगण अपना सही नाम अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना खां को राजस्व रिकॉर्ड को में दुरूस्त करवाने का राजस्व कर्मचारीयों से सम्पर्क किया तो बाद में आने की बात कही ओर अन्त में टालम–मटोल करने के बाद राजस्व कर्मचारीयों ने प्रार्थीगण को अदालत में कार्यवाही कर आदेश लाने को कहां। प्रार्थीगण के पिता का सही नाम दुरूस्त नहीं होने से प्रार्थीगणों को अपनी किसान क्रेडिट कार्ड, व अन्य ऋण आदी से आये दिन परेशानी होती है, तथा गलत नाम राजस्व रिकॉर्ड में हटाने से साफ इनकार करने एवं अदालत में कार्यवाही करने को कहां प्रार्थीगण के पास माननीय न्यायालय के समस्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक सही नाम दर्ज नहीं होने से अकारण ही प्रार्थी को कई प्रकरणों में उलझना पडेगा। परिणामस्वरूप प्रार्थीगणों को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति होना असम्भव है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 274 फोटो प्रति आधार कार्ड आत्मज अजीज मृत्यु प्रमाण पत्र अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना खां फोटो प्रति आधार कार्ड आत्मज शकील फोटो प्रति आधार कार्ड अब्दुल सगीर फोटो प्रति आधार कार्ड रिजवान फोटो आधार कार्ड शाहीन बी फोटो प्रति आधार कार्ड आतमज अबदुल सलीम फोटो प्रति आधार कार्ड सलमान खान पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी के खातेदार एवं कब्जे काश्त की है वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगणो के पिता का नाम मुन्ना खां जाति मुसलमान दर्ज है उक्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम मुन्ना खां त्रुटि पूर्वक अंकित हों गया है प्रार्थीगण के पिता का सही नाम अब्दुल अजीज उर्फ मुन्न खां है। प्रार्थीगण के पिता को इसी नाम से जाना जाता है तथा इसी नाम से राशन कार्ड परिचय पत्र एवं आधार कार्ड बना हुआ है प्रार्थीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र में भी अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना खां अंकित है प्रार्थीगण के पिता का सही नाम अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना खां है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पिता नाम सही किया जावे। पिता का नाम गलत होने के कारण किसान क्रेडित कार्ड व अन्य ऋण आदि से आये दिन पेरशानी होती है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत 2074–79 खाता संख्या 274 में प्रार्थीगण के पिता का नाम मुन्ना खां दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड में प्राथीगण के पिता का नाम अब्दुल अजीज अंकित है फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 08.9.2016 में प्राथीगण के पिता का नाम अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना खां अंकित है। प्रार्थी अब्दुल शकील के आधार कार्ड में पिता नाम अब्दुल अजीज दर्ज है। प्रार्थी अब्दुल सगीर रिजवान शाहीन बी अब्दुल सलीम एवं सलमान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

के आधार कार्ड में पिता का नाम अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना खां इस सम्बन्ध मतें तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा द्वारा रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कस्बा छबडा की आराजी खसरा नम्बर 1043/1 रकबा 0.5944 है0 खसरा नम्बर 1044/1 रकबा 0.4932 है0 खसरा नम्बर 1045/1 रकबा 0.29.09 है0 भूमि अब्दुल शहील , अब्दुल सगीर, अब्दुल सलीम, रिजवान, सलमान खान पुत्र मुन्ना खां शहनाज बी , शाहीन बी , पुत्री मुन्ना खां के नाम दर्ज रिकार्ड है प्राथीगण के पिता के सम्बन्ध में जॉच ली गई तो प्राथीगण के पिता को मुन्ना खां व अब्दुल अजीज दोनो ही नामो से जाना पहचाना जाता है प्रार्थीगण के समस्त दस्जावेजों में पिता का नाम अब्दुल अजीज है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित होता है की प्रार्थीगण के पिता का सही नाम अब्दुल अजीज है राजस्व रिकार्ड में दर्ज मुन्न खां गलत है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पिता का नाम अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना खां दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा के खसरा नम्बर 1043/1 रकबा 0.5944 है0 खसरा नम्बर 1044/2 रकबा 0.4932 है0 खसरा नम्बर 1045/1 रकबा 0.2909 है0 में अंकित प्रार्थी के पिता का नाम मुन्ना खां के स्थान पर अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना खां दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

(राज0) अंकित है।